आदेश पत्रक

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	ओदश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित / अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नही है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तदनुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। अतः उक्त निदेश के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक / अंचल निरीक्षक से विस्तृत जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुसंशा के साथ समर्पित करें कि मामला संदिग्ध / संदेहास्पद जमांबंदी का बनता है कि नहीं, जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें। (हस्ताक्षर) 14.12.22 अंचल अधिकारी, मनातू।	
28.12.2022	अभिलेख उपस्थापित / राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है। पुनः जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक ---- को रखें। (हस्ताक्षर) अंचल अधिकारी मनातू	
02.01.23	अभिलेख उपस्थापित / राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जाँच प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है। पुनः जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक ---- को रखें। (हस्ताक्षर) अंचल अधिकारी मनातू	

12.01.2023 अभिलेख उपस्थापित / जांच प्रतिवेदन अप्राप्त हेतु पुनः जांच प्रतिवेदन की मांग करें अभिलेख दिनांक 20.1.23 को रखें।

अंचल अधिकारी
मनातू

20.1.23 अभिलेख अपस्थापित।

10.2.23

राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन के द्वारा प्रतिवेदन किया गया है। कि मौजा रडेया ...., थाना सं0 345 खाता सं0– 53, 45, प्लौट सं0 127, 102, 83 रकबा 0.82 डी० है। जिसका जमाबंदी मांग पंजी II के पृष्ठ सं0 41/II पर इद्रीश मियाँ के नाम से मांग कायम है।

अतः राजस्व/प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन के प्रतिवेदन एवं अनुसंशा के आधार पर उक्त भूमि संदिग्ध/संदेहास्पद नहीं है। वाद कि कारवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

10.2.23

अंचल अधिकारी,

मनातू।

10.2.23

अंचल अधिकारी,

मनातू।

सेवा में,

अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू।

विषय:- संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी केश नं॰ 115/2016-17 से संबंधित जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में प्रतिवेदित करना है कि संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी केश नं॰ 115/2016-17 के संबंध में जाँचोपरान्त पाया कि मौजा - रहेया के माँग पंजी-II के पेज नं॰ 41/II पर माँगधारी रैयत इद्रीश मियाँ S/O रजाक मियाँ के नाम से माँग कायम है। आफलाइन माँग पंजी-II के अनुसार भूमि का विवरण इस प्रकार है:-

मौजा	खाता	प्लॉट	रकबा	परिवर्तन के लिए प्राधिकार
रहेया	53	127	0.25	settlement case. No. 155/02-03.
	,,	102	0.10	
	45	83	0.47	

उपर्युक्त वर्णित भूमि का लगान वर्ष 2009-10 से वर्ष 2010-12 तक निर्गत है। अंतिम लगान रसीद संख्या - 4939882, दिनांक - 1.8.11 दर्ज है। माँगधारी रैयत से भूमि बंदोबस्ती से संबंधित दस्तावेज की माँग की गई, जिसमें कि उनके द्वारा भूमि बंदोबस्ती से संबंधित नकल की छायाप्रति, बंदोबस्ती पर्चा एवं लगान रसीद की छायाप्रति उपलब्ध करायी गई है जो कि साक्ष्य में संलग्न है। अंचल अमीन से दखल कब्जा के संबंध में जाँच प्रतिवेदन की माँग की जा सकती है।

माँगधारी रैयत द्वारा प्रदत्त दस्तावेज, माँग पंजी-II में दर्ज माँग एवं निर्गत रसीद के आधार पर यह मामला संदिग्ध / संदेहास्पद प्रतीत नहीं होता है।

अतः जाँच प्रतिवेदन नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु सादर समर्पित।

विश्वासभाजन
अनिल कुमार रजक
राजस्व उपनिरीक्षक
हल्का - III
अंचल - मनातू

R.S.I + C.I

महाशय,

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी केश नं० - 115/2016-17 से सम्बन्धित जाँच हेतु ग्राम - रहेया थाना - मनातु थाना नं० 345 गया। स्थल पर बन्दोबस्त धारी का अंश प्लॉट क्रमशः 127, 102 रकबे 83 पर दखल जान प्रतीत होता है। अतः आवश्यक कारवाई हेतु जाँच प्रतिवेदन सादर समर्पित है।

विश्वास भाजन
ब्रजनन्दन माँझी
अंचल अमीन
मनातु

माँझी
अंचल अमीन
मनातु

Digitally signed by SHEKHER VERMA
Date: 2023.02.11 12:19:41 +05:30
Location: 192.168.169.97